कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2017–18 के प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों के विरूद्ध चयनित कार्मिकों का पदस्थापन इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/ प्रधानाचार्य/डीपीसी17–18 दिनांक 25.09.2017 द्वारा किया गया। उक्त आदेश में क्रम सं 69 श्रीमति सरोज सोलंकी, प्र.अ. रामावि रेल्वे कोसिंग बीकानेर को जरिए काउन्सलिंग उनकी सहमति से राआउमावि, सिनाली जागीर, बालोतरा बाडमेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया।

लेकिन उक्त पदोन्नत कार्मिक ने आदेश में स्वयं का पदस्थापन बीकानेर जिले से बाहर किये जाने का उल्लेख करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट सं 12874/2017 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11.10.2017 द्वारा प्रार्थी को अप्रार्थीगण के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने और उक्त अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इसका निस्तारण करने के निर्देश दिए। माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तिगत आधार पर कार्मिकों के पदस्थापन से सम्बन्धित शिकायत का निराकरण अधिकारीगण द्वारा उचित प्रकार से किया जाने की आवश्यकता है, माननीय न्यायालय इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

याचिकार्थी ने मुख्य रूप से स्वयं का पदस्थापन बीकानेर जिले से बाहर किये जाने का उल्लेख किया है,साथ ही बीकानेर शहर या इसके आसपास प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर स्वयं को पदस्थापित करने की परिवेदना की है। प्रार्थी जो कि स्वयं पदोन्नति पूर्व में भी राज्य सेवा स्तर के अधिकारी रहे हैं एवं पदोन्नति पर धारित प्रधानाचार्य राउमावि एवं समकक्ष का पद भी राज्य सेवा स्तर का है फलस्वरूप याचिकार्थी का यह कथन किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इन्हें बीकानेर जिले से बाहर पदस्थापित नहीं किया जा सकता। प्रार्थी की परिवेदना पर गहनता से विचार किया गया चूंकि प्रधानाचार्य का पद राज्य शिक्षा सेवा का पद है और राज्य हित एवं छात्र हित में याचिकार्थी को इस पद पर राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अतः श्रीमति सरोज सोलंकी, प्रधानाचार्य राआउमावि, सिनाली जागीर, बालोतरा, बाडमेर का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। सभी संबधित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/सरोज/याचिका/12874/2017 दिनांक 21.11.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर/जोधपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर/बाडमेर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जोधपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी
7. निजी/रक्षित पत्रावली
8. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)